

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार
9वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : श्री महेन्द्र गोयल

दिनांक : 23.03.2018

विधान सभा अताराकित प्रश्न संख्या : 270

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि बुध विहार से विजय विहार को जोड़ते हुए पुल के निर्माण में अवैध कब्जा होने से देरी हो रही है.	अनाधिकृत कॉलोनी प्रकोष्ठ जी हाँ यह सत्य है भूमि पर अवैध कब्जा दिल्ली विकास प्राधिकरण हरित पट्टी के ऊपर स्थित है जो विभाग को पुल तक पहुंचने के लिए संपर्क रोड बनाने के लिए चाहिए और यह तभी संभव है जब इसके ऊपर से अवैध कब्जे को हटाया जाए। जिसको हटाने के लिए समय-समय पर संबंधित विभाग द्वारा उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विशेष कार्यदल कंडावला एवं क्षेत्रीय जिला अधिकारी को अनुरोध किया गया।
ख	यदि हाँ तो सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण विभाग द्वारा आपके विभाग को अब और किस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई.	अनाधिकृत कॉलोनी प्रकोष्ठ शहरी विकास विभाग के रिकार्ड के अनुसार सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग से इस विभाग को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।
ग	संबंधित शिकायत पर आपके विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई, और	अनाधिकृत कॉलोनी प्रकोष्ठ उपरोक्त 'ख' के अनुसार।
घ	वर्तमान में अवैध कब्जे की क्या स्थिति है ?	अनाधिकृत कॉलोनी प्रकोष्ठ सिंचाई एवं नियंत्रण विभाग के अनुसार अभी भी अवैध कब्जा बरकरार है।

R. S. Parmar
 Secy. (Urban Development)
 Govt. of NCT of Delhi
 Delhi Secretariat